

कार्यालय जनपद पंचायत खैरागढ़ – जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छत्तीसगढ़)

Email ID – jp-kgh.cg@nic.in

Ph.No. 07820-23421

// आदेश //

क्रमांक / 862 / शिक्षा / पंचा. / अनु.नियु. / 2024 /

खैरागढ़, दिनांक 03/07/2024  
05

जिला शिक्षा अधिकारी जिला खैरागढ़-छुई-गंडई का पत्र क्रमांक/286/स्था./24 खैरागढ़ दिनांक 27.4.24 के निर्देश एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ का पत्र क्रमांक/3339/स्था./23 खैरागढ़ दिनांक 24.1.23 के प्रतिवेदन के आधार पर छ0ग0शिक्षक(पंचायत)संवर्ग (भर्ती तथ सेवा की शर्त), नियम 2012 के तहत लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सहायक शिक्षक (पंचायत) को सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत खैरागढ़ का बैठक दिनांक 27.06.2024 प्रस्ताव क्रमांक (8) में सर्व सम्मति से पारित होने के फलस्वरूप श्री संजय कुमार धुर्वे सहायक शिक्षक(पंचायत) शास.प्राथ.शा.पांडुका को सेवा से पृथक किया जाता है ।

103/04/24  
मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत खैरागढ़

पू.क्र./ 863 / शिक्षा / पंचा. / अनु.नियु. / 2024  
प्रतिलिपि : -

खैरागढ़, दिनांक 03/7/2023  
05

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. कलेक्टर, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ ।
4. परियोजना प्रशासक-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला खैरागढ़-छुई-गंडई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।
8. प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला पांडुका को सूचनार्थ ।
9. श्री संजय कुमार धुर्वे पिता स्व.श्याम लाल धुर्वे निवासी वार्ड नं. 48नई पुलिस लाईन दुर्ग जिला खैरागढ़ को सूचनार्थ ।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत खैरागढ़

कार्यालय जनपद पंचायत खैरागढ़ - जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छत्तीसगढ़)

Email ID - jp-kgh.cg@nic.in

Ph.No. 07820-234213

// आदेश //

क्रमांक / 860 / शिक्षा / पंचा. / अनु.नियु. / 2024 /

खैरागढ़, दिनांक 03 / 07 / 2024  
०३

जिला शिक्षा अधिकारी जिला खैरागढ़-छुई-गंडई का पत्र क्रमांक/286/स्था./24 खैरागढ़ दिनांक 27.4.24 के निर्देश एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ का पत्र क्रमांक/3339/स्था./23 खैरागढ़, दिनांक 24.1.23 के प्रतिवेदन के आधार पर छ0ग0शिक्षक(पंचायत)संवर्ग (भर्ती तथ सेवा की शर्त), नियम 2012 के तहत लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सहायक शिक्षक (पंचायत) को सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत खैरागढ़ का बैठक दिनांक 27.06.2024 प्रस्ताव क्रमांक (8) में सर्व सम्मति से पारित होने के फलस्वरूप श्री मोहेन्द्र कुमार वर्मा सहायक शिक्षक(पंचायत) शास.प्राथ.शा.करेला को सेवा से पृथक किया जाता है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत खैरागढ़

पृ.क्र. / 861 / शिक्षा / पंचा. / अनु.नियु. / 2024  
प्रतिलिपि : -

खैरागढ़, दिनांक 03 / 7 / 2023  
०३

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
4. परियोजना प्रशासक-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. , जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला पुराना करेला को सूचनार्थ।
9. श्री मोहेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री झग्गर प्रसाद वर्मा पो0 डुन्देरा, तह.पाटन जिला दुर्ग को सूचनार्थ।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत खैरागढ़

# कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ0ग0)

e-mail – deokeg@gmail.com

— आदेश —


क्रमांक / 1423 / सतर्कता / अन.अनु. / 2024-25 /

खैरागढ़ दिनांक :- 03.07.2024

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 3-1/2024/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 14.05.2024 एवं कार्यालय, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रं./स्था.2/व्या./अव.युक्ति./64/2024/1425/नवा रायपुर, दिनांक 21.05.2024 के अनुसार अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में शासन द्वारा जारी नियमों के तहत श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, सहायक ग्रेड 03, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुढीपार, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई छ.ग. के संबंध में निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

1. श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, सहायक ग्रेड 03, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुढीपार, विकासखंड छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई छ.ग. दिनांक 11.07.1997 से बिना सूचना/आवेदन पत्र के आज पर्यन्त अपने कर्तव्य से लगातार अनधिकृत अनुपस्थित है।
2. संबंधित कर्मचारी की अनुपस्थिति के संदर्भ में विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा पत्र क्रं./166/दिनांक 14.10.2000, पत्र क्रं./161/दिनांक 13.01.2003, पत्र क्रं./138/दिनांक 28.11.2000, पत्र क्रं./161/दिनांक 13.01.2003, पत्र क्रं./822/मुढीपार, दिनांक 24.11.2009, ज्ञा.क्रं./बजट/लेखा/2017-18/135/दिनांक 23.08.2017, के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को अवगत कराया गया है।
3. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव के द्वारा संबंधित कर्मचारी को ज्ञा.क्रं./शिकायत/2000/4368/राजनांदगांव, दिनांक 06.12.2000 के माध्यम से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया, जिसका संबंधित के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. इस कार्यालय के पत्र क्रं./693/सतर्कता/अन.अनु./2024-25/खैरागढ़, दिनांक 24.05.2024 के द्वारा संबंधित श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, सहायक ग्रेड 03 को अपनी अनधिकृत उपस्थित के संबंध में कारण स्पष्ट करने के लिए समक्ष में उपस्थित होने के लिये कहा गया किन्तु संबंधित कर्मचारी द्वारा समयावधि में उपस्थित नहीं हुआ। पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रं./1260ए/सतर्कता/अन.अनु./2024-25/खैरागढ़, दिनांक 25.06.2024 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के संदर्भ में शपथ पत्र के साथ प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने कहा गया किन्तु संबंधित आज पर्यन्त उपस्थित होकर कोई प्रतिवाद नहीं दिया।
5. उक्त प्रकरण में संबंधित श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, सहायक ग्रेड 03, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुढीपार, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई का आचरण प्रदर्शित करता है कि वह शासकीय कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है तथा शासकीय कार्यों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहते है।
6. छ.ग. शासन वित्त एवं योजना मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का ज्ञा.क्रं./320/एफ 2013-01-00099/ वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 01 अगस्त 2013 के अनुसार छ.ग. सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 में प्रवधान है कि कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा। छ.ग.शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रं./144/एल 2018-04-00428/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 22.03.2018 के अनुसार उक्त समय अंतराल में संशोधित कर 05 वर्ष से 03 वर्ष कर दिया गया है।
7. अतएव छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा उक्त नियमों के नियम 10(आठ) के अंतर्गत श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, सहायक ग्रेड 03 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुढीपार, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal) किया जाता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
(लालजी द्विवेदी) 03.7.24

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई



क्रमांक / 1424 / सतर्कता / अन.अनु. / 2024-25 /  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।
8. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुढीपार, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ कर लेख है कि आदेश संबंधित को तामिल कराकर पावती इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, सहायक ग्रेड 03 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुढीपार, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।
10. स्था.04 स्थानीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।

*S. Suresh*  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

—: आदेश :-

क्रमांक / 1425 / सतर्कता / अन.अनु. / 2024-25 /

खैरागढ़ दिनांक :- 03.07.2024

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 3-1/2024/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 14.05.2024 एवं कार्यालय, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रं./स्था.2/व्या./अव.युक्ति./64/2024/1425/नवा रायपुर, दिनांक 21.05.2024 के अनुसार अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में शासन द्वारा जारी नियमों के तहत श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) के संबंध में निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

1. श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही, विकासखंड खैरागढ़ के लंबी अनुपस्थिति के संदर्भ में ग्रामवासियों के द्वारा दिनांक 14.09.20217 को आवेदन पत्र विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ में प्रस्तुत किये। संबंधित सहायक शिक्षक की अनुपस्थिति के विषय पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ के द्वारा अपने ज्ञा.क्रं./1437/वि.खं.शि.अधि./स्था./2019-20/खैरागढ़, दिनांक 09.07.2019 को बिन्दुवार जांच कर जांच प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु श्री निमेष सिंह शैक्षिक समन्वयक को निर्देशित किया।
2. विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ के ज्ञा.क्रं./1484/वि.खं.शि.अधि./स्था./2019-20/ खैरागढ़, दिनांक 15.07.2019 को जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। जिला शिक्षा राजनांदगांव के आदेश क्रं./शिकायत/2019/5224/राजनांदगांव, दिनांक 22.07.2019 के तहत श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही, विकासखंड खैरागढ़ को वि.खं.शि.अधि. के प्रतिवेदन के आधार पर बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहना, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना तथा उच्च अधिकारियों का आदेश/निर्देश का पालन नहीं करना, जो कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अनधिकृत रूप से शाला से अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस माना जावें। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाये जाने के फलस्वरूप एक वेतन वृद्धि संचायी प्रभाव से लघुशास्ति अधिरोपित किया गया।
3. कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़ के पत्र क्रं./150/शिका./जां.अधि./2022-23/खैरागढ़, दिनांक 21.04.2023 के द्वारा श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही के दिनांक 01.08.2019 से आज पर्यन्तक अनधिकृत अनुपस्थित के संदर्भ में जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधि पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यालय विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के द्वारा आदेश क्रमांक/1125/स्था./ल.अनु./2023-24/खैरागढ़, दिनांक 04.05.2023 के अनुसार संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु श्री ईश्वर प्रसाद ठाकुर प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल अमलीपारा, खैरागढ़ को जांच अधिकारी व श्री रूप कुमार यदु व्याख्याता शासकीय उ. मा.शाला चंदैनी वि.खं. खैरागढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। कार्यालय प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल अमलीपारा खैरागढ़ के ज्ञा.क्रं./11/2022-23/खैरागढ़ दिनांक 18.05.2023 को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जिसमें संबंधित शिक्षक दिनांक 01.08.2019 से बिना सूचना/आवेदन के अपने कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति की जानकारी प्रस्तुत किये है तथा ग्रामवासियों के द्वारा संबंधित के विरुद्ध नाराजगी दर्ज कराते हुए अन्यत्र हटाने की मांग रखी गयी। संबंधित शिक्षक का उक्त कृत्य विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रदर्शित करता है एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।
4. इस कार्यालय के पत्र क्रं./695/सतर्कता/अन.अनु./2024-25/खैरागढ़, दिनांक 24.05.2024 के द्वारा संबंधित श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी. को अपनी अनधिकृत उपस्थित के संबंध में कारण स्पष्ट करने के लिए समक्ष में उपस्थित होने के लिये कहा गया, संबंधित के द्वारा दिनांक 28.05.2024 को उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जो कि संतोषपद नहीं होने के कारण उन्हें पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रं./1261ए/सतर्कता/अन.अनु./2024-25/ खैरागढ़, दिनांक 25.06.2024 के द्वारा समक्ष में



उपस्थित होकर अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के संदर्भ में शपथ पत्र के साथ प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने कहा गया संबंधित के द्वारा दिनांक 01.07.2024 को शपथ पत्र के साथ संबंधित के द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण को पारिवारिक एवं घरेलू परेशानी की वजह बताया है, जो कि समाधान कारक नहीं पाया गया।

5. उक्त प्रकरण में संबंधित श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई का आचरण प्रदर्शित करता है कि वह शासकीय कार्यों में रूचि नहीं ले रही है तथा शासकीय कार्यों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहती है।
6. छ.ग. शासन वित्त एवं योजना मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का ज्ञा.क्रं./320/एफ 2013-01-00099/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 01 अगस्त 2013 के अनुसार छ.ग. सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 में प्रवधान है कि कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा। छ.ग.शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रं 144/एल 2018-04-00428/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 22.03.2018 के अनुसार उक्त समय अंतराल में संशोधित कर 05 वर्ष से 03 वर्ष कर दिया गया है। श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही, विकासखंड खैरागढ़ दिनांक 01.08.2019 से लगातार 3 वर्षों से अधिकतम समायावधि अनधिकृत अनुपस्थित है।
7. अतएव छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा उक्त नियमों के नियम 10(आठ) के अंतर्गत श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal) किया जाता है।  
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

*(लालजी द्विवेदी)*  
03-7-24

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई  
खैरागढ़ दिनांक :- 03.07.2024

पृ. क्रमांक / 1428 / सतर्कता / अन.अनु. / 2024-25 /  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नया रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ कर लेख है कि आदेश संबंधित को तामिल कराकर पावती इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।
9. श्रीमती सीमा अग्रवाल, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला, हिरावाही, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।
10. स्था.03 स्थानीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को सूचनार्थ।

*(लालजी द्विवेदी)*  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई